

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
संकल्प

संख्या 13/वरीय विविध-15/2013 का०.....

राँची, दिनांक.....

विषय:- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 6263/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2016 के आलोक में झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के प्रवर कोटि (सेलेक्सन ग्रेड) एवं अधिकाल वेतनमान (सुपर टाइम स्केल) में पदों का संविभाजन।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 6263/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2016 तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 10189 दिनांक 26.09.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के पदों का तिथिवार संविभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्रम संख्या	तिथि	वरीय न्यायिक सेवा संवर्ग के कुल पदों की संख्या	प्रवर कोटि में संविभाजित पदों की संख्या (संवर्ग के कुल पदों का 25%)	अधिकाल वेतनमान में संविभाजित पदों की संख्या (संवर्ग के कुल पदों का 10%)
1	04.04.2013	191	48	19
2	30.01.2014	193	48	19
3	27.11.2015	203	51	20
4	08.11.2016	231	58	23

- झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के उपर्युक्त प्रवर कोटि तथा अधिकाल वेतनमान के पदों पर प्रोन्नति के लिये योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तें लागू होंगे।
- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश स

ह०/-

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

जापांक-13/ वरीय विविध-15/2013 का०- 10189 / 10190 / राँची, दिनांक..... 26.9.17
प्रतिलिपि- श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी ई-गजट, का0, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।